

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 1-93/2008/20-1  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3/9/08

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश

विषय:- अध्यापक संवर्ग में संविलियन किए गए शिक्षाकर्मी एवं नियुक्त होने वाले संविदा शाला शिक्षक के वेतन निर्धारण के संबंध में।

-00-

विभाग के आदेश क्र० एफ 1-4/2007/बीस-1, दिनांक 28.6.07 के द्वारा दिनांक 01.04.07 से शिक्षाकर्मियों के संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति से अध्यापक संवर्ग का गठन करने का निर्णय लिया गया है। अध्यापक संवर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय जिलों में संविदा शाला शिक्षकों को महंगाई भत्ते का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अध्यापक संवर्ग में नियुक्त होने वाले संविदा शाला शिक्षकों को दिनांक 01.04.07 की स्थिति में वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त कर उन्हें 20 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाना है तथा इसके पश्चात उसी दर से महंगाई भत्ता देय होगा जो समय-समय पर राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

इसी प्रकार शिक्षाकर्मियों के अध्यापक संवर्ग में वेतन निर्धारण करने में जिलों में एकरूपता नहीं है। अतः इस संबंध में शिक्षाकर्मियों एवं संविदा शाला शिक्षकों के वेतन निर्धारण करने के संबंध में वेतन निर्धारण पत्रक एवं उदाहरण प्रारूप सलग्न है। तदनुसार अपेक्षित कार्यवाही की जाए।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 3/9/08

पू० क्रमांक एफ 1-93/2008/20-1  
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मा.मंत्रोजी/राज्यमन्त्री जी.म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र.भोपाल
4. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।



अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

**दिनांक 01.04.2007 से नवगठित अध्यापक संवर्ग के लिए वेतन निर्धारण पत्रक  
(शिक्षाकर्मी के लिए)**

स.क्र.	विवरण	
1.	शिक्षाकर्मी का नाम	
2.	वर्ग	
3.	दिनांक 31.03.2007 को प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियां	
4.	अध्यापक संवर्ग में संविलियन दिनांक	01.04.07
5.	अध्यापक संवर्ग का नाम	
6.	अध्यापक संवर्ग का वेतनमान	
7.	अध्यापक संवर्ग का मूल वेतन	
8.	शिक्षाकर्मी के रूप में की गई प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्णकालिक सेवा के लिए देय एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि	
9.	उपरोक्त क्रमांक 6 एवं 7 का योग (6+7)	
10.	उपरोक्त क्रमांक 8 में उल्लेखित मूल वेतन पर देय मंहगाई भत्ता 20 प्रतिशत की दर से	
11.	वेतन निर्धारण पर कुल मासिक परिलब्धियां	
12.	उपरोक्त क्रमांक 11 एवं 3 का अंतर (11-3)	
13.	उपरोक्त क्रमांक 12 अनुसार अंतर की राशि रूपये 750 से कम है तो एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त होगा। कॉलम क्रमांक 8 के मूल वेतन पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि	
14.	उपरोक्त क्रमांक 13 में उल्लेखित वेतन पर 20 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता	
15.	दिनांक 01.04.07 को वेतन निर्धारण करने पर कुल मासिक परिलब्धियां	
16.	आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक	01.04.2008

हस्ताक्षर/—  
वेतन निर्धारणकर्ता अधिकारी  
पदमुद्रा

**दिनांक 01.04.2007 से नवगठित अध्यापक संवर्ग के लिए वेतन निर्धारण पत्रक  
(शिक्षाकर्मी के लिए)**

(उदाहरण 1)

स.क्र.	विवरण	
1.	शिक्षाकर्मी का नाम	श्रीमती सीमा विश्वास
2.	वर्ग	वर्ग-1
3.	दिनांक 31.03.2007 को प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियां	4970/-
4.	अध्यापक संवर्ग में संविलियन दिनांक	01.04.07
5.	अध्यापक संवर्ग का नाम	वरिष्ठ अध्यापक
6.	अध्यापक संवर्ग का वेतनमान	5000-175-8500
7.	अध्यापक संवर्ग का मूल वेतन	5000 रुपये
8.	शिक्षाकर्मी के रूप में की गई प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्णकालिक सेवा के लिए देय एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि	$175 \times 2 = 350$ रुपये
9.	उपरोक्त क्रमांक 7 एवं 8 का योग (7+8)	5350 रुपये
10.	उपरोक्त क्रमांक 9 में उल्लेखित मूल वेतन पर देय मंहगाई भत्ता 20 प्रतिशत की दर से	1070 रुपये
11.	वेतन निर्धारण पर कुल मासिक परिलब्धियां	6420 रुपये
12.	उपरोक्त क्रमांक 3 एवं 11 का अंतर (11-3)	1450 रुपये
13.	उपरोक्त क्रमांक 12 अनुसार अंतर की राशि रुपये 750 से कम है तो एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त होगा। कॉलम क्रमांक 9 के मूल वेतन पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि	-
14.	उपरोक्त क्रमांक 13 में उल्लेखित वेतन पर 20 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता	-
15.	दिनांक 01.04.07 को वेतन निर्धारण करने पर कुल मासिक परिलब्धियां	-
16.	आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक	01.04.2008

(उदाहरण 2)

स.क्र.	विवरण	
1.	शिक्षाकर्मी का नाम	श्रीमती मीना राजपूत
2.	वर्ग	वर्ग-3
3.	दिनांक 31.03.2007 को प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियां	3195/-
4.	अध्यापक संवर्ग में संविलियन दिनांक	01.04.07
5.	अध्यापक संवर्ग का नाम	सहायक अध्यापक
6.	अध्यापक संवर्ग का वेतनमान	3000-100-5000
7.	अध्यापक संवर्ग का मूल वेतन	3000 रुपये
8.	शिक्षाकर्मी के रूप में की गई प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्णकालिक सेवा के लिए देय एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि	$100 \times 2 = 200$ रुपये
9.	उपरोक्त क्रमांक 7 एवं 8 का योग (7+8)	3200 रुपये
10.	उपरोक्त क्रमांक 9 में उल्लेखित मूल वेतन पर देय मंहगाई भत्ता 20 प्रतिशत की दर से	640 रुपये
11.	वेतन निर्धारण पर कुल मासिक परिलब्धियां	3840 रुपये
12.	उपरोक्त क्रमांक 3 एवं 11 का अंतर (11-3)	645 रुपये
13.	उपरोक्त क्रमांक 12 अनुसार अंतर की राशि रुपये 750 से कम है तो एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त होगा। कॉलम क्रमांक 9 के मूल वेतन पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि	$3200 + 100 = 3300$ रुपये
14.	उपरोक्त क्रमांक 13 में उल्लेखित वेतन पर 20 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता	660
15.	दिनांक 01.04.07 को वेतन निर्धारण करने पर कुल मासिक परिलब्धियां	3960
16.	आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक	01.04.2008

दिनांक 01.04.2007 से नवगठित अध्यापक संवर्ग के लिए वेतन निर्धारण पत्रक नियम 2001 एवं संशोधित नियम 2003 के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के लिए

स.क्र.	विवरण	
1.	संविदा शाला शिक्षक का नाम	
2.	श्रेणी	
3.	संविदा मासिक पारिश्रमिक	
4.	अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	
5.	अध्यापक संवर्ग का नाम	
6.	अध्यापक संवर्ग का वेतनमान	
7.	अध्यापक संवर्ग का मूल वेतन	
8.	उपरोक्त क्रमांक 7 में उल्लेखित मूल वेतन पर देय मंहगाई भत्ता 20 प्रतिशत की दर से	
9.	वेतन निर्धारण पर कुल मासिक परिलब्धि	
10.	आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक (नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष उपरांत)	

हस्ताक्षर/—  
वेतन निर्धारणकर्ता अधिकारी  
पदमुद्रा

**दिनांक 01.04.2007 से नवगठित अध्यापक संवर्ग के लिए वेतन निर्धारण पत्रक नियम 2001 एवं रांशोधित नियम 2003 के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के लिए**

(उदाहरण 1)

स.क्र.	विवरण	
1.	संविदा शाला शिक्षक का नाम	अजय श्रीवास्तव
2.	श्रेणी	श्रेणी-1
3.	संविदा मासिक पारिश्रमिक	4500 / -
4.	अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	01.04.07
5.	अध्यापक संवर्ग का नाम	वरिष्ठ अध्यापक
6.	अध्यापक संवर्ग का वेतनमान	5000-175-8500
7.	अध्यापक संवर्ग का मूल वेतन	5000 रूपये
8.	कॉलम क्र. 7 में उल्लेखित मूल वेतन पर देय मंहगाई भत्ता 20 प्रतिशत की दर से	1000 रूपये
9.	वेतन निर्धारण पर कुल मासिक परिलब्धि	6000 रूपये
10.	आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक (नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष उपरांत)	01.04.08

(उदाहरण 2)

स.क्र.	विवरण	
1.	संविदा शाला शिक्षक का नाम	सुनील शर्मा
2.	श्रेणी	श्रेणी-3
3.	संविदा मासिक पारिश्रमिक	2500 / -
4.	अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	02.05.08
5.	अध्यापक संवर्ग का नाम	सहायक अध्यापक
6.	अध्यापक संवर्ग का वेतनमान	3000-5000
7.	अध्यापक संवर्ग का मूल वेतन	3000 रूपये
8.	कॉलम क्र. 7 में उल्लेखित मूल वेतन पर देय मंहगाई भत्ता 36 प्रतिशत की दर से	1080 रूपये
9.	वेतन निर्धारण पर कुल मासिक परिलब्धि	4080 रूपये
10.	आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक (नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष उपरांत)	02.05.09 / 01.05.09